–टेण्डर सूचना–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिवहन निगम मुख्यालय के पत्रांक–1934 एमटी/2020–42एमटी/2015 दिनांक–30 जुलाई, 2020 में अंकित प्राविधानों के अनुसार **आई0एस0बी0टी0 ए ईदगाह, भूतेश्वर मथुरा** बस स्टेशन पर मार्ग से चल कर आई बसों में लघु सफाई किये जाने हेतु अनुभवी ठेकेदारों के चयन के लिए दिनांक –**21.09.2020** को सील बन्द निविदा/प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं,। निविदा फार्म www.upsrtc.com से डाउनलोड कर सकते है जो कि **96 ग्वालियर रोड आगरा** क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में उक्त दिनांक को **समय 16.00** बजे तक टेण्डर बाक्स में डाले जायेंगे। निविदा/प्रस्ताव में फर्म को टेक्निकल बिड तथा फाईनेन्शियल बिड हेतु प्रपत्र अलग–अलग बन्द लिफाफों में देने होंगे। बसों की सफाई हेतु तीन वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जायेगा। परफारमेन्स अच्छी होने पर क्षेत्रीय समिति 02 वर्ष(1+1) हेतु अनुबन्ध बढ़ा सकेगी। प्रत्येक बस स्टेशन के लिए पृथक–पृथक निविदायें देनी होंगी।

दिनांक	कृत कार्यवाही
21.09.2020	**निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि समय 16:00 बजे**
22.09.2020	**टैक्निकल बिड खोले जाने की तिथि समय 15:00 बजे**
22.09.2020	**फाईनैन्शियल बिड खोले जाने तिथि समय 15:30 बजे**

टेण्डर कार्यवाही दो चरणों में होगीः–

टेक्निकल बिड–

टेक्निकल बिड में फर्म द्वारा निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जायेंगे :–

(1)– –सेवाप्रदाता को सफाई–धुलाई या हाउस कीपिंग के क्षेत्र में अनुभव वांछित है। सेवाप्रदाता द्वारा किसी राजकीय,पब्लिक सेक्टर अथवा निजी क्षेत्र की किसी प्रतिष्ठित संस्था में विगत 03 वर्ष में कम से कम एक बार मैनपावर अथवा सेवाओं की आपूर्ति की हो, इस हेतु का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2)– Earnest money के मद में जमा की जाने वाली धनराशि रू0 5,000.00 के बैंक ड्राफ्ट का विवरण।

(3)– टेण्डर हेतु निविदा शुल्क के मद में जमा की जाने वाली धनराशि रू0 236.00 के बैंक ड्राफ्ट का विवरण।

(3)– फर्म का गत 02 वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 का वार्षिक टर्न ओवर, बैलेन्स शीट की सत्यापित प्रति।

(4)– फर्म का पैन कार्ड।

(5)– फर्म का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र।

(6)– ई0पी0एफ0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र/यदि नहीं है तो 02 माह में रजिस्ट्रेशन कराये जाने हेतु शपथ पत्र।

(7)– बस सफाई हेतु स्टेशनवार निर्धारित संख्या में कार्मिक उपलब्ध कराये जाने हेतु सहमति पत्र।

दिनांक–**22.09.2020** को अपरान्ह 15.00 बजे प्राप्त प्रस्तावों में से टेक्निकल बिड को क्षेत्रीय समिति द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जायेगा। प्रति बस स्टेशन प्रस्ताव के साथ टेण्डर हेतु निविदा शुल्क रू0 236.00 का बैंक ड्राफ्ट एवं प्रतिभूति मद हेतु प्रति बस स्टेशन हेतु धनराशि रू0 5,000.00 का बैंक ड्राफ्ट क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, **आगरा** के पक्ष में संलग्न कर प्रेषित करना अनिवार्य होगा। बिना निविदा शुल्क एवं बिना प्रतिभूति धनराशि के प्राप्त प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

फाईनेन्शियल बिड

टेक्निकल बिड में उपयुक्त पाई गयी फर्मो की फाईनेन्शियल बिड दिनांक– **22.09.2020 को 15:30** बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में खोली जायेगी। फाईनेन्शियल बिड में न्यूनतम प्रति बस सफाई दर देने वाली फर्म का चयन क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जायेगा।

चयनित सेवाप्रदाता को न्यूनतम 07 दिन का निःशुल्क ट्रायल निगम के नामित अधिकारियों की समिति के समक्ष करना होगा। ट्रायल में कार्य सही पाये जाने पर अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण की जानी है।

परिवहन निगम की बसों की महत्वपूर्ण बस स्टेशनों पर लघु सफाई हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जानी हैः–

1. **(क)** परिवहन निगम की निगम एवं अनुबन्धित बसें जो 200किमी से अधिक संचालित होकर बस स्टेशन पर टर्मिनेट हो रही हों अथवा बस स्टेशन से पास हो रही हो उनकी लघु सफाई बस स्टेशन पर की जाये।

(ख) परिवहन निगम के चयनित महत्वपूर्ण बस स्टेशन निम्नवत् हैः–

ट्रान्सपोर्ट नगर एवं ईदगाह–आगरा, भूतेश्वर–मथुरा,

Downloaded from www.upsrtc.com

2—**<u>बसों की लघु सफाई में निम्नवत् कार्य कराये जाने आवश्यक होगे</u>** :—

(क) बसों को बाहर की तरफ से सूखे/गीले कपडे से साफ करना होगा।

(ख) बसों के शीशों की अन्दर एवं बाहर से Approved लिक्विड इण्डस्ट्रीयल डिटर्जेन्ट, से सफाई करानी होगी एवं हैन्ड हेल्ड वाईपर से शीशे को साफ करना होगा।

(ग) बसों की अन्दर से पूरी सफाई यथा झाडू लगाना, सीटो के नीचे से कचरा साफ करना,डैस बोर्ड एवं चालक केविन की सफाई करनी होगी।

(घ) बस स्टेशन पर टर्मिनेट होने वाली बसों में गीले कपड़े/स्पंज पर डिटर्जेन्ट लगाकर बस की सीटों को पोंछना।

(च) बस के अन्दर Approved फ्रेशनर का स्प्रे करना।

(छ) बस के अन्दर उल्टी, पान का पीक जैसी अन्य गन्दगी होने पर उसकी पूर्ण सफाई करनी होगी।

(ज) बस में रखे हुए डस्टबिन का कूडा हटाकर डस्टबिन को साफ करना होगा।

3—**<u>सामान्य शर्तें</u>** :—

(क) डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/बस स्टेशन प्रबन्धक,उन बसों की सूची तथा बस स्टेशन पर आने का सम्भावित समय सेवाप्रदाता को उपलब्ध करायेंगे जिनकी ड्राई मापिंग की जानी है।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त आने वाली अन्य बसों की लघु सफाई स्टेशन इंचार्ज के द्वारा दी गयी स्लिप/टोकेन के आधार पर की जायेगी।

(ग) बसों की लघु सफाई में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे—लिक्विड इण्डस्ट्रीयल डिटर्जेन्ट, ब्रान्डेड इण्डस्ट्रीयल परफ्यूम्ड डिस्इन्फेक्टेण्ड, फ्रेशनर तथा सफाई हेतु झाडू, कपड़े, वाइपर, आदि सेवाप्रदाता को स्वयं अपने व्यय पर लाना होगा। लिक्विड इण्डस्ट्रीयल डिटर्जेन्ट, ब्रान्डेड इण्डस्ट्रीयल परफ्यूम्ड डिस्इन्फेक्टेण्ड एवं फ्रेशनर के ब्रान्ड एवं गुणवत्ता का पूर्व अनुमोदन क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सेवा प्रबन्धक से लिया जायेगा।

(घ) लघु सफाई कार्य में लगाये गये कार्मिक कार्य के दौरान फेसमास्क, हैण्डग्लब्स, सेफ्टी जैकेट तथा सुरक्षा टोप का प्रयोग करेंगे। सेवाप्रदाता यह भी सुनिश्चित करें कि उनके प्रत्येक कार्मिक निर्धारित यूनीफार्म में रहगें तथा जूते, एप्रेन, रबर बूट, हैण्ड ग्लब्स, सैफ्टी जैकेट(निगम द्वारा निर्धारित कलर प्लान में) तथा सुरक्षा टोप अवश्य पहनेंगे। यह सामग्री एवं Approved हैण्ड सेनेटाईजर तथा फेसमास्क सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(च) सेवाप्रदाता को बसों की सुचारू रूप से लघु सफाई हेतु बसों की संख्या के अनुसार शिफ्टवाइज अलग—अलग कार्मिको की व्यवस्था करानी होगी। सेवाप्रदाता द्वारा सभी कार्मिकों का दुर्घटना बीमा भी कराना होगा तथा सभी कार्मिको का आधार कार्ड या वोटर—कार्ड की प्रमाणित प्रति स्टेशन इंचार्ज के पास जमा करना होगा तथा स्टेशन इंचार्ज/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को उसकी मूल प्रति भी दिखानी होगी।

(छ) सेवाप्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे उपलब्ध करायी गयी लघु सफाई होने वाली समस्त बसों की लघु सफाई प्रत्येक दशा में की जाय।

4— <u>कार्मिकों की व्यवस्था का निर्धारण :—</u>

यात्रियों की सुविधा तथा लघु सफाई में लगने वाले समय को अधिकतम 10 मिनट करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक बस की लघु सफाई में एक कार्मिक बस के अन्दर की सफाई करेगा तथा दूसरा कार्मिक बस के बाहरी हिस्से की सफाई करेगा।

उक्त के दृष्टिगत कार्मिकों की न्यूनतम व्यवस्था का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:—

''प्रतिदिन लघु सफाई होने वाली सम्भावित प्रत्येक 100 बसों पर 04 कार्मिकों की न्यूनतम तैनाती सेवाप्रदाता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। 100 से अधिक लघु सफाई होने वाली सम्भावित बसों की स्थिति में प्रोरेटा आधार पर कार्मिकों की तैनाती में वृद्धि करनी होगी। शिफ्टवाईज कार्मिकों की तैनाती बस स्टेशन प्रबन्धन बसों के आवागमन के आधार पर करेगा। किसी भी बस स्टेशन पर न्यूनतम 04 कार्मिक अवश्य तैनात होंगे।''

<u>5—प्रतिभूति धनराशि एवं अनुबन्ध अवधि</u>

(क) सेवाप्रदाता को दैनिक साफ होने वाली बसों की संख्या 200 अथवा अधिक होने की सम्भावना वाले बस स्टेशन हेतु 40 हजार रू0 एवं इससे कम साफ होने वाली बसों की संख्या होने की सम्भावना वाले बस स्टेशनों के लिए

Downloaded from www.upsrtc.com

20 हजार रू0 की प्रतिभूति धनराशि क्षेत्रीय प्रबन्धक के पास जमा करनी होगी। Earnest money की धनराशि security deposit में समायोजित की जा सकती है।

(ख) क्षेत्रीय समिति द्वारा प्राप्त उपयुक्त दरों तथा टर्मस एण्ड कन्डीशन के आधार पर अनुबन्धकर्ता से प्रारम्भ मे तीन वर्ष हेतु अनुबन्ध किया जायेगा। परफारमेन्स अच्छी होने पर क्षेत्रीय समिति 02 वर्ष(1+1) हेतु अनुबन्ध बढ़ा सकेगी।

6— **सेवाप्रदाता के चयन हेतु अहर्ता** :—

(क) सेवाप्रदाता को सफाई—धुलाई या हाउस कीपिंग के क्षेत्र में अनुभव वांक्षित है। सेवाप्रदाता द्वारा किसी राजकीय,पब्लिक सेक्टर अथवा निजी क्षेत्र की किसी प्रतिष्ठित संस्था में विगत 03 वर्ष में कम से कम एक बार मैनपावर अथवा सेवाओं की आपूर्ति की हो।

(ख) सेवाप्रदाता का EPFO ,जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो।

7—**भुगतान व्यवस्था** :—

(क) बस स्टेशनों पर बसों की सफाई की जिम्मेदारी सम्बन्धित बस स्टेशन के स्टेशन इंचार्ज की होगी। पर्यवेक्षकीय जिम्मेदारी सम्बन्धित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(बस स्टेशन/डिपो) एवं क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक की होगी।

(ख) सेवाप्रदाता निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में ट्रिप्लीकेट रसीद बुक रखेगा जिसकी एक प्रति बसों की सफाई के उपरान्त सेवाप्रदाता के प्रतिनिधि द्वारा साफ होने वाली बस के चालक/परिचालक से हस्ताक्षर कराकर प्राप्त करायेगे। चालक/परिचालक अपने मूल डिपो में कैश जमा करते समय अनिवार्यतः वह रसीद मार्ग पत्र के साथ बैग—कक्ष में प्राप्त करायेगे। सेवाप्रदाता रसीद की दूसरी प्रति विवरण के साथ दैनिक रूप से बस स्टेशन प्रभारी को प्राप्त करायेंगे। सेवाप्रदाता रसीद की तीसरी प्रति बिल के साथ प्रस्तुत करेंगे। बस स्टेशन प्रभारी विगत दिवस की सफाई का पूर्ण विवरण क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय को दैनिक रूप से प्राप्त करायेगे। इसी प्रकार डिपो में जमा हुई रसीद का विवरण सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा दैनिक रूप से क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्राप्त कराया जायेगा।

(ग) बस स्टेशन स्तर पर एक रजिस्टर मेनटेन किया जाये जिसमें बसवार साफ हुई बस का विवरण अंकित किया जाना होगा। उक्त रजिस्टर की छाया प्रति प्रत्येक माह 16 व 02 तारीख को बिल के साथ क्षेत्रीय प्रबन्धक को उपलब्ध करा दी जायेगी। रजिस्टर मेनटेन करने का दायित्व सेवाप्रदाता का होगा।

(घ) बसों की सफाई के लिए धनराशि क्षेत्रीय प्रबन्धक की पाक्षिक मांग पर मुख्यालय द्वारा सीधे क्षेत्रीय प्रबन्धक को उपलब्ध कराई जाय।

8—**पेनाल्टीः**—

(क) बस स्टेशन प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं अन्य उच्च अधिकारियों के निरीक्षण में पिछले स्टेशन पर साफ की गयी बस के सफाई की रसीद उपलब्ध होने के बावजूद भी गन्दी पायी जाने पर सेवाप्रदाता से रू0 100/—प्रति बस की दर से धनराशि की वसूली की जायेगी तथा सफाई की धनराशि देय नहीं होगी।

(ख) निरीक्षण के समय बस गन्दी पाये जाने पर चालक पर रू0 100 की दर से अर्थदण्ड लगाया जायेगा।

9—**अन्यः**—

(क) लघु सफाई हेतु सेवाप्रदाता द्वारा लगाये गये कर्मचारी सेवाप्रदाता के कार्मिक होगें किसी भी प्रयोजन के लिए निगम के कार्मिक नहीं माने जायेंगे। कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा होने पर किसी भी प्रकार विधिक एवं वित्तीय उत्तरदायित्व निगम का नही होगा, अपितु इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सेवाप्रदाता का होगा।

(ख) बसों से निकले कूडे के नियमित निस्तारण की व्यवस्था सेवाप्रदाता को करनी होगी।

(ग) अनुबन्ध टेण्डर की स्पष्ट शर्तो के आधीन क्षेत्रीय प्रबन्धक आगरा द्वारा किया जायेगा।

10—**अनुबन्ध निरस्तीकरण** :—

परिवहन निगम द्वारा समय—समय पर अनुबन्ध की समीक्षा की जायेगी। उभय पक्ष को 01 माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार रहेगा।

11—**आर्बीट्रेशनः**—

Downloaded from www.upsrtc.com

उभय पक्ष के मध्य किसी प्रकार के विवाद का निस्तारण उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियुक्त किये गये आर्बीट्रेटर द्वारा Arbitration and Concillation Act 1996 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। आर्बीट्रेटर का निर्णय उभय पक्ष को मान्य होगा।

(अनुराग यादव)
सेवा प्रबन्धक,आगरा।

कार्यालय सेवा प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम,आगरा।

पत्रांकः–सेप्र/आ/निविदा/बस स्टैण्ड/लधु सफाई व्यवस्था/20– **1200** **दिनांकः 14.09.2020**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रावि0) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को उनके पत्र संख्या 1933एमटी/2020–42एमटी /2015– दिनांक 30.07.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2 प्रधान प्रबन्धक(विविध/एमआईएस) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3 क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय, उ0प्र0 परिवहन निगम, आगरा।
4 सहायक प्रबन्धक(एमआईएस), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को बेवसाईट पर विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ।
5 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त) आगरा।
6 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,फोर्ट,ईदगाह,फा0नगर,ताज,मथुरा, वाह डिपो को इस आशय से प्रेषित कि वह समस्त बस स्टेशनों के नोटिस बोर्डो पर इस विज्ञप्ति की प्रति चश्पा कराया जाना सुनिश्चित करे।
7 निगम वेवसाइट अपलोड हेतु bablu@otpl.co.in , update@otpl.co.in
8 नोटिस बोर्ड, सेवा प्रबन्धक कार्यालय /क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय आगरा।

(अनुराग यादव)
सेवा प्रबन्धक,आगरा।

Downloaded from www.upsrtc.com

टेण्डर फार्म मूल्य रू0 200.00 +18 प्रतिशत जी0एस0टी0 कुल रू0 236.00 मात्र

टेण्डर फार्म संख्या ....
टेण्डर फार्म जारी करने वाले अधिकारी
के स्ताक्षर

(अनुराग यादव)
सेवा प्रबन्धक,आगरा।

<u>टैक्निकल विड</u>

कम संख्या	तकनीकी अर्हतायें	विवरण
1.	सेवाप्रदाता को सफाई–धुलाई या हाउस कीपिंग के क्षेत्र में अनुभव वांक्षित है। सेवाप्रदाता द्वारा किसी राजकीय,पब्लिक सेक्टर अथवा निजी क्षेत्र की किसी प्रतिष्ठित संस्था में विगत 03 वर्ष में कम से कम एक बार मैनपावर अथवा सेवाओं की आपूर्ति की हो, इस हेतु का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
2	Earnest money के मद में जमा की जाने वाली धनराशि रू0 **5,000.00** के बैंक ड्राफ्ट का विवरण।	
3	टेण्डर हेतु निविदा शुल्क के मद में जमा की जाने वाली धनराशि रू0 236.00 के बैंक ड्राफ्ट का विवरण।	
4	फर्म का गत 02 वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 का वार्षिक टर्न ओवर, बैलेन्स शीट की सत्यापित प्रति।	
5	फर्म का पैन कार्ड।	
6	फर्म का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र।	
7	ई0पी0एफ0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र/यदि नहीं है तो 02 माह में रजिस्ट्रेशन कराये जाने हेतु शपथ पत्र।	

Downloaded from
www.upsrtc.com

हस्ताक्षर व मुहर ....
फर्म का नाम ....
फर्म का पता ....
दिनांक ....

वित्तीय विड

क्सं0	कार्यशाला / बस स्टेशन का नाम	दर प्रति बस
1	आई0एस0बी0टी0 बस स्टेशन आगरा।	
2	ईदगाह बस स्टेशन आगरा।	
3	भूतेश्वर मथुरा बस स्टेशन ।	

हस्ताक्षर व मुहर ....
फर्म का नाम ....
फर्म का पता ....
दिनांक ....

Downloaded from www.upsrtc.com